

डिप्टी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठारीन अधिकारी :- श्री भागीरथ राम चौधरी आर.पु.एस.

03/2025

1. शिव कुमार पुत्र भागचन्द जाति मेघवाल निवारी डाबडी तहसील भादरा।

:-वादी

बनाम

1. बिमला पत्नी भागचन्द जाति मेघवाल निवारी डाबडी तहसील भादरा।
2. अंगूरी पुत्री भागचन्द जाति मेघवाल निवारी डाबडी तहसील भादरा।
3. राजोदेवी पुत्री भागचन्द जाति मेघवाल निवारी, डाबडी तहसील भादरा। हाल आवाद कलानौर तहसील रोहतक जिला रोहतक हरियाणा।
4. उर्मिला पुत्री भागचन्द जाति मेघवाल निवारी डाबडी तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-प्रतिवादीगण

:-प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ भागीरथ राम चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वादी श्री सन्दीप गोदारा व वकील प्रतिवादीगण श्री प्रभुराम गोदारा की उपस्थिति में हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की है कि रोही मोजा डाबडी के खाता सं० 245/62 के खसरा सं० 109 की 1.164है०, खसरा 74 की 1.770है०, खसरा सं० 206 की 3.123है०, खसरा सं० 208/697 की 3.035है० कुल 9.092है० कृषि भूमि में भागचन्द के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उपरोक्त मि में से भागचन्द का नाम कलमजन किया जाकर वादी शिव कुमार पुत्र भागचन्द, प्रतिवादी बिमला पत्नी भागचन्द, प्रतिवादी सं० 2 अंगूरी पुत्री भागचन्द व प्रतिवादी सं० उर्मिला पुत्री नन्द को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व यदि कृषि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया र रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की से जारी की गई।



(भागीरथ राम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

